रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन) 04/0007/2003—22 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—22

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09072022-237206
CG-DL-W-09072022-237206

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 9—जुलाई 15, 2022 (आषाढ़ 18, 1944)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9—JULY 15, 2022 (ASADHA 18, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली–110004, दिनांक 1 जुलाई 2022

संख्याः ए–39011/60/16–प्रशा..—अधिवर्षिता आयु पूर्ण हो जाने पर, 30 जून 2022 के अपराह्न से, श्री विश्वनाथ शर्मा, निजी सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

भारत भूषण, अवर सचिव (प्रशा.)

संख्याः ए. 36011/57/16–प्रशा..—राष्ट्रपति सचिवालय में पदस्थ राष्ट्रपति के चिकित्सक, डॉ. (श्री) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अधिवर्षिता आयु पूर्ण हो जाने पर, 30 जून, 2022 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

भारत भूषण, अवर सचिव (प्रशा.)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 2022

सं. 15/पीए- II/2022—राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा 'ख' के ग्रेड I के अधिकारी श्री एन. वेंकटरमन को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से स्थानापन्न आधार पर भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ स्तर के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	प्रोन्नति की तारीख
श्री एन. वेंकटरमन	07.12.1963	30.05.2022

सौम्य गुप्ता, उप सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2022

सं. क्यू/पीए-1/21/2022.—सुश्री गायत्री इस्सर कुमार, यूनाइटेड किंगडम में भारत की उच्चायुक्त, दिनांक 30 जून, 2022 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सौम्य गुप्ता, उप सचिव (विदेश सेवा कार्मिक एवं संवर्ग)

सं. क्यू/पीए-1/22/2022— श्री अजय बिसारिया, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त, दिनांक 30 जून, 2022 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सौम्य गुप्ता, उप सचिव (विदेश सेवा कार्मिक एवं संवर्ग)

सं.19/पीए-II/2022.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री राजेश लाल 30 जून, 2022 अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से सेवानिवृत हो गए हैं।

सौम्य गुप्ता, उप सचिव (विदेश सेवा कार्मिक एवं संवर्ग)

सं. क्यू/पीए-1/20/2022.—श्री टी. एस. त्रिमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र, पीएमआई, न्यूयार्क में भारत के राजदूत/स्थाई प्रतिनिधि ने दिनांक 30 जून, 2022 के अपराह्न से अपने पुनर्नियोजन का कार्यकाल पूरा कर लिया है।

सौम्य गुप्ता, उप सचिव (विदेश सेवा कार्मिक एवं संवर्ग)

सं. क्यू/पीए-1/23/2022.—सुश्री संगीता बहादुर, माल्टा गणराज्य में भारत की उच्चायुक्त, दिनांक 30 जून, 2022 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सौम्य गुप्ता, उप सचिव (विदेश सेवा कार्मिक एवं संवर्ग)

प्रातोकोल उप प्रमुख का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2022

संख्या डी III/460/सी एफ-07/2022.—भारत के राष्ट्रपति चेन्नई में सिंगापुर गणराज्य के प्रधान कोंसल के रूप में श्री एडगर पांग ज़च्यांग की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री एडगर पांग ज़ च्यांग के कोंसली क्षेत्राधिकार में तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र पुदुचेरी होंगे, जिसका केंद्र चेन्नई होगा।

अविनाश कुमार सिंह, प्रोतोकॉल उप प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2022

सं. 23: (फा.सं.ए-19013/17/2022-प्रशा.I).—भारत के राष्ट्रपति, डॉ. विजित पटेल, आई.आर.एस. (आई.टी.14082) को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 18.05.22 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अवर सचिव (एपीए-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 जून 2022

सं. 24 (फा. सं. ए-38013/1/2022- प्रशा.I).—अधिवर्षिता की आयु होने पर राजस्व विभाग में अवर सचिव के पद पर तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी, श्री भोला राम मीना, दिनांक 31.05.2022 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2022

सं. 25 : (फा. सं. ए-19012/3/2022- प्रशा.I).—भारत के राष्ट्रपति, सुश्री नीहारिका सिंह को दिनांक 01.06.2022 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में तदर्थ आधार पर निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 जून 2022

सं. 26 :(फा.सं. ए-19014/23/2019 -प्रशा- I).—भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्री मंजीत कुमार विज (अनुक्रमांक सं.-0004207) को सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2015 में अर्हता के आधार पर दिनांक 31.05.2021 (पूर्वाह्न) से नियमित अनुभाग अधिकारी (चयन सूची 2015) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. सीएसएस नियम, 2009 के अनुसार श्री मंजीत कुमार विज के संबंध में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में अनुमोदित नियमित सेवा दिनांक 01 जुलाई, 2015 से गिनी जाएगी।

3. अनुभाग अधिकारी के तौर पर श्री मंजीत कुमार विज की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणामों तथा किन्हीं अन्य संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के भी अध्ययधीन है:—

(i) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्लूपी सं. 13218/2009 में आदेश, तारीख 15.07.2011 तथा अंतिम निर्णय से उद्भूत एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के सक्षम अन्य संबंधित मामले।

(ii) अखिल भारतीय समानता फोरम तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य द्वारा दायर डब्लूपी (सी) सं. 3490/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय से उद्भूत एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 तथा किसी सक्षम न्यायालय में अन्य संबंधित न्यायालय मामला

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में यूपीएससी बनाम श्री शांति लाल बौरासी तथा अन्य द्वारा दायर डब्लूपी (सी) सं. 5080/2014

(iv) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में यूपीएससी बनाम श्री एम.आर. मीना तथा अन्य द्वारा दायर डब्लूपी (सी) सं. 5793/2014

(v) दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में यूपीएससी बनाम श्री राजीव आर तथा अन्य द्वारा दायर डब्लूपी (सी) सं. 6468/2014

(vi) ओए सं. 2773/2015 (राम खिलाड़ी मीना तथा अन्य बनाम भारत संघ), ओए सं. 2906/2015 (प्रीति वधवा बनाम भारत संघ) तथा ओए सं. 2888/2015 (सुनील कुमार भाटिया बनाम भारत संघ)

(vii) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में जरनैल सिंह बैच के मामले

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 जून 2022

सं. 30: (फा.सं. ए-19014/31/2019 -प्रशा-I).—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.06.2022 के का.ज्ञा.सं.6/8/2022 -सीएस -I (एस) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ), श्री संजय यादव को चयन सूची वर्ष 2022 के लिए वरिष्ठता कोटे (एस क्यू) में दिनांक 15.06.2022 (पूर्वाह्न) से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

1. केंद्रीय सचिवालय सेवा नियमों के अनुसार, श्री संजय यादव के संबंध में एसओ एसएल 2020 (एस क्यू) में शामिल अनुमोदित सेवा दिनांक 01 जुलाई, 2020 से गिनी जाएगी।

2. अधिकारी की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय-मामलों के परिणामों तथा किसी अन्य मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अध्यधीन होगी:-

i. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील सं. 629/2022 तथा संबंधित मामले (जरनैल सिंह बैच के मामले)

ii. वरिष्ठता, एसओ/एएसओ ग्रेड में पदोन्नति आदि, यदि कोई हो तो, से संबंधित मामले जो आज की तारीख तक किसी भी सक्षम न्यायालय में दायर किए गए हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

सं. 31: (फा.सं.ए-50050/60/2022-एडी.प्रशा.I).—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/4/2022-सीएस-I(एस) दिनांक 27.05.2022 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (तदर्थ) की चयन सूची वर्ष 2018 के वरिष्ठता कोटे में राजस्व विभाग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हैं :—

क्रम सं.	नाम (श्री/सुश्री)	नियुक्ति की तारीख
1	दीपक कुमार	30.05.2022
2.	लक्ष्मी राघवन	30.05.2022
3.	बलदेव सिंह सैनी	30.05.2022
4.	एम.के.गर्ग	30.05.2022
5.	सुमन रावत	30.05.2022
6.	बिंदू धवन	30.05.2022
7.	गीता शर्मा	30.05.2022
8.	रविंदर प्रताप सिंह	30.05.2022
9.	भारत भूषण	30.05.2022
10.	सतींदर चोपड़ा	30.05.2022
11.	सुनीता कनोजिया	30.05.2022

2. केंद्रीय सचिवालय सेवा नियमों के अनुसार, अनुभाग अधिकारी चयन सूची 2018 (एस क्यू) में शामिल अधिकारियों के संबंध में स्वीकृत सेवा दिनांक 1 जुलाई, 2018 से गिनी जाएगी।

3. अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणामों तथा किसी अन्य संबंधित मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के भी अध्यधीन होगीः

i. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील सं. 629/2022 एवं संबद्ध मामलों (जरनैल सिंह बैच के मामले) में

ii. अनुभाग अधिकारी/सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता, पदोन्नति आदि, यदि कोई हो,से संबंधित मामले, जो किसी भी सक्षम न्यायालय में आज की तारीख तक दायर किए गए हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

सं. 29: (फा.सं.ए-50050/62/2022-प्रशा.I)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-6/6/2022-सीएस-I(एस) दिनांक 04.06.2022 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (तदर्थ) की चयन सूची वर्ष 2019 के वरिष्ठता कोटे में नियमित आधार पर राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हैं :—

क्रम सं.	नाम (श्री/सुश्री)	नियुक्ति की तारीख
1	अनुपमा कुमारी	16.06.2022
2.	चंदन कृष्णा	06.06.2022
3.	रंजीत कुमार	06.06.2022
4.	बिपिन कुमार	06.06.2022
5.	चंदर मोहन	06.06.2022

क्रम सं.	नाम (श्री/सुश्री)	नियुक्ति की तारीख
6.	सुल्तान सिंह मीना	07.06.2022
7.	पाओखोलेन हाओकिप	06.06.2022
8.	लालमिंगथांग सोंगाटे	06.06.2022

2. केंद्रीय सचिवालय सेवा नियमों के अनुसार, अनुभाग अधिकारी चयन सूची 2019 (एस क्यू) में शामिल अधिकारियों के संबंध में स्वीकृत सेवा 1 जुलाई, 2019 से गिनी जाएगी।

3. अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणामों तथा किसी अन्य संबंधित मामलों में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के भी अध्यधीन होगीः

i. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील सं. 629/2022 एवं संबद्ध मामले (जरनैल सिंह बैच के मामले)

ii. अनुभाग अधिकारी/सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता, पदोन्नति आदि, यदि कोई हो, से संबंधित मामले, जो किसी भी सक्षम न्यायालय में आज की तारीख तक दायर किए गए हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

सं. 28: (फा.सं.ए-19013/18/2022-प्रशा.I)—भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रदीप कुमार, आईआरएस (सी एंड आई.टी.) [बैच: 2014, कर्मचारी आई.डी : 7271] की दिनांक 17.05.2022 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर अवर सचिव, [न्यायिक] के पद पर नियुक्ति करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जून 2022

सं. ए-22012/3/2022-स्थापना—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.5.2022 के पत्र सं. 18/5/2022-ईओ (एमएम-I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री प्रशांत कुमार गोयल, आईएएस (टीआर: 2007) को 23 जून, 2022 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 13 (1,23,100—2,15,900 रुपए) में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

संजय कुमार झा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2022

सं. ए-38011/03/2022-स्था.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप, श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, सचिव दिनांक 30.06.2022 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

तिलक राज, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 26 मई 2022

सं. 14/2/2021-सीसीएस/6933—राष्ट्रपति, श्री एस. ए. मुरुगेसन, (आईएएस-2005) को दिनांक 21.04.2022 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में 5 साल की अवधि अर्थात 20.04.2027 तक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम में आंतरिक वित्त सलाहकार (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 13) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

दिनांक 16 जून 2022

सं. 12/11/2022-सीसीएस/7930—राष्ट्रपति, श्री डी. रामसुब्रमण्यम को दिनांक 03.06.2022 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में क्रय एवं भंडार निदेशालय, मुंबई में आंतरिक वित्त सलाहकार (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 13) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

सं. 11/13/2021-सीसीएस/7924—राष्ट्रपति, श्रीमती शिल्पा राहुल शेंगाल को दिनांक 04.06.2022 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में भारी पानी संयंत्र, कोटा में उप लेखा नियंत्रक (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

सं. 11/13/2021-सीसीएस/7928—राष्ट्रपति, श्री वी. के. श्रीकांत को दिनांक 01.06.2022 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में क्रय एवं भंडार निदेशालय, मुंबई में उप लेखा नियंत्रक (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

दिनांक 24 जून 2022

सं. 11/13/2021-सीसीएस/8352—राष्ट्रपति, श्रीमती शाहीन दस्तगीर सैय्यद को दिनांक 20.05.2022 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में सामान्य सेवाएं संगठन, नाभिकिय पुन:चक्रण बोर्ड, तारापुर में उप लेखा नियंत्रक (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

सं. 11/13/2021-सीसीएस/8335—राष्ट्रपति, श्री वी. विवेकानंदन को दिनांक 01.06.2022 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में भारी पानी बोर्ड, मुंबई में उप लेखा नियंत्रक (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

दिनांक 29 जून 2022

सं. 12/4/2021-सीसीएस/8536—राष्ट्रपति, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के श्री विकास बी भोसले, सुरक्षा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 9) को दिनांक 13.05.2022 की पूर्वाह्न से उसी केंद्र में उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2022

सं. ए-38013/04/2021-स्था. 1—खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, श्री पवन कुमार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जुलाई, 2022 को अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो जाएंगे।

राम चन्द्र, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2015

सं. एफ. 15-2806/14-स्था. 1—दिनांक 03.10.2014 को श्री रंजय कुमार सिन्हा (सीएसएल सं. 8382) अवर सचिव, पुत्र श्री बृजनंदन प्रसाद, के दु:खद निधन के परिणामस्वरूप दिनांक 03.10.2014 (अपराह्न) से उनका नाम कैडर संख्या तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेतन-नामावली से हटा दिया गया है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 13 अगस्त 2015

सं. ए-22011/05/2013-स्था.I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2013-सीएस.I(यू) दिनांक 22.05.2015 के अनुसरण में और इस मंत्रालय की दिनांक 29.07.2015 की समसंख्यक अधिसूचना का आंशिक अधिक्रमण करते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों को दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर अवर सचिवों के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है:—

क्र.सं.	नाम(श्री/श्रीमती)	सीएसएल सं.
1	अचिंत कुमार	8550
2	आलोक जवाहर	8381
3	ए. के. गोपाल	8474
4	बी. के. शर्मा	8406
5	सी. पी. रत्नाकरम	8264
6	दौलत राम	8300
7	दीप चंद लाकरा	8759
8	एच. एम. सोनकुसारे	8031
9	किरण के. अरोड़ा	8224
10	के. डी. वर्मा	8510
11	मनोज कुमार शुक्ला	8716
12	पी. भक्तवत्सलम	8322
13	राजेश साम्पले	8748
14	राजेश कुमार मौर्य	8204
15	सचिन अरोड़ा	8717
16	एस. के. नारायण	8590
17	सुशांत कुमार साहा	8635

2. उपर्युक्त नियुक्ति, उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या सीएसएस के ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 18 सितंबर 2015

सं. ए- 22011/05/2013-ई.I—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ए-22011/05/2013-ई.I दिनांक 13.08.2015 के क्रम में श्री पुष्कर कुमार सिंह, अवर सचिव को दिनांक 31.05.2015 से अधिक अवधि के लिए तथा 31.12.2015 तक अथवा इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो पूर्णत: तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है।

2. उक्त अधिकारी को उपर्युक्त नियुक्ति से अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड- I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को उन्हें बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 4 दिसंबर 2015

सं. एफ -15-2903/2015-स्था.I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी, (सीएसएल सं 8854) श्री संजय कुमार को सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में दिनांक 24.11.2015 (पूर्वाह्न) से 31.12.2015 तक की अवधि तक या जब तक कि पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं |

2. उपर्युक्त नियुक्ति उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने का अधिकार अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी | तदर्थ नियुक्ति कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती है |

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2016

सं एफ-15-2915/2016-स्था.I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी श्री शाह फैज अहमद को सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में दिनांक 03.02.2016 (पूर्वाह्न) से 30.06.2016 की अवधि तक या जब तक कि पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं |

2. उपर्युक्त नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 1 अप्रैल 2016

सं. एफ-15-2605/2011-स्था.I—राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी श्री के. राजन को सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में दिनांक 01.04.2016 (पूर्वाह्न) से 30.06.2016 तक की अवधि तक या जब तक कि पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने, अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 7 अक्टूबर 2016

सं. एफ-15-2938/2016-ई.I.—राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी श्री ए. के. चट्टोपाध्याय को दिनांक 30/09/2016 (अपराह्न) से 30.06.2017 तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड- I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. तय त समय तक उस ग्रेड अनिश्चि से उन्हें नियुक्तिउपर्युक्त नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा सीएसएस के ग्रेड ता का दावा करने में वरिष्ठ-का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. एफ-15-2937/2016-ई.I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री वी बी हरिहरन, अनुभाग अधिकारी को 30/09/2016 के अपराह्न से 30.06.2017 तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सीएसएस (अवर सचिव) के ग्रेड-1 में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति से उन्हें अनिश्चित समय तक उस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 14 अक्तूबर 2016

सं एफ-15-2939/2016-स्था.I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी (सीएसएल सं 9243) श्री वी. श्रीपति को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में दिनांक 06.10.2016 (पूर्वाह्न) से 30.06.2017 की अवधि तक या जब तक कि पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने का अधिकार अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा सीएसएस के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 25 नवम्बर 2016

सं एफ-15-2949/2016-स्था.I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की अनुभाग अधिकारी (सीएसएल नं 9277) श्रीमती रेनु निगम को 11/11/2016 (पूर्वाह्न) से 30.06.2017 तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सीएसएस (अवर सचिव) ग्रेड-1 में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति से उन्हें अनिश्चित समय तक उस ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में नाम शामिल होने अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2019

सं. ए-32011/6/2018-स्था.I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निर्दिष्ट तिथि से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700—2,08,700 रु.) [6600/-रु. के ग्रेड वेतन सहित पूर्व संशोधित पीबी-3 (15,600 रु.—39,100 रु.) में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	सीएसएल सं.	इस तिथि से प्रभावी
1.	अशोक गिरी	9895	01/01/2019(पूर्वा.)
2.	गज मोहन मीणा	10109	01/01/2019(पूर्वा.)

2. तदर्थ नियुक्ति अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु अथवा सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवाओं को उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु गिना नहीं जाएगा।

3. तदर्थ नियुक्ति एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 (जरनैल सिंह और अन्य बनाम लछमी नारायण गुप्ता और अन्य) और एसएलपी (सी) सं. 31288/2017 तथा ऐसे ही किसी अन्य मुकदमे के अध्यधीन रहेगी।

अचिंत कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 32011/6/2018-स्था.I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की अनुभाग अधिकारी श्रीमती विक्षक्षी जयरमन, (सीएसएल सं 9325) को दिनांक 01.01.2019 (पूर्वाह्न) से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700—208700 रू.) [6600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित पूर्व संशोधित पीबी-3 (15600—39100 रु.) में सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं |

2. तदर्थ नियुक्ति अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवाओं को उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु गिना नहीं जाएगा।

3. तदर्थ नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.12.2018 के आदेश संख्या 5/7/2016-सीएस I (यू) (खंडII) के पैरा 3 (vii) में उल्लिखित न्यायालयी मामलों के फैसलों के अध्यधीन है |

अचिंत कुमार, अवर सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2019

सं. ए-32011/06/2018-ई.I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2013-सीएस.I (यू) के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों को दिनांक 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित रूप से भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिवों के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	सीएसएल संख्या
1.	एस. के. नारायण	8590
2.	मनोज कुमार शुक्ला	8716
3.	सचिन अरोड़ा	8717
4.	कुंदन नाथ	8780
5.	विकास त्रिपाठी	8804
6.	संजय कुमार	8854
7.	शाह फैज अहमद	9016
8.	के. राजन	9106
9.	वी. श्रीपति	9243
10.	ए. के. चट्टोपाध्याय	9257
11.	रेनू निगम	9277

2. उपर्युक्त नियुक्ति, नियुक्त अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल होने या सीएसएस के ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

अचिंत कुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 मई 2019

सं. ए-32011/6/2018-ई.I(ii)—राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की सुश्री खम्नगईलूं, अनुभाग अधिकारी सीएसएल सं. 10096 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक अथवा आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-11(रु. 67,700-2,08,700) में सीएसएस के अवर सचिव (ग्रेड-I) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति, उस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं देती। तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. तदर्थ नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/4/2019-सीएस.I(यू)(i) दिनांक 30.04.2019 में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन है।

अचिंत कुमार, अवर सचिव

सं. ए-32011/6/2018-ई.I(i)—राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67,700 - 2,08,700 रुपए) में सीएसएस के ग्रेड- I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएल सं.	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	रत्नेश कुमार गुप्ता	10210	30.04.2019 (पूर्वा.)
2.	उषा सुधाकरण	10427	30.04.2019 (पूर्वा.)
3.	के.एन. राव	10456	30.04.2019 (पूर्वा.)
4.	तेज पाल सिंह	10465	30.04.2019 (पूर्वा.)
5.	सुनीता शर्मा	10502	30.04.2019 (पूर्वा.)
6.	धर्मेंद्र	10530	01.05.2019 (पूर्वा.)
7.	रश्मि सहगल	10648	30.04.2019 (पूर्वा.)

2. उपर्युक्त नियुक्ति, उस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड- I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं देती। तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. तदर्थ नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/4/2019-सीएस.I(यू)(ii) दिनांक 30.04.2019 में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन है।

अचिंत कुमार, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2022

सं. ए-32014/1/2021-ई.II(बी)—राष्ट्रपति, सामान्य केंद्रीय सेवा (सिविल), समूह 'ख' राजपत्रित, गैर-मंत्रिस्तरीय के निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को नियमित आधार पर पे-मैट्रिक्स के लेवल-7 (पूर्व संशोधित पे बैंड–2, 9300—34,800 रु. और ग्रेड पे 4600/- रुपये) में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से और अगले आदेश तक सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री नरेश कुमार	26.4.2022
2.	श्री संदेश के	25.4.2022
3.	श्री सुगत नीलकंठ कांबले	25.4.2022
4.	श्री क़मरे आलम	25.4.2022

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
5.	श्री हेमंत कुमार	25.4.2022
6.	श्री वेंकटैया मेकला	25.4.2022

कमल किशोर, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 जुलाई 2022

सं. 49/24/2019-प्रशासन-I.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जून, 2022 के आदेश सं. 4/3/2022-सीएस.I(डी)(ix) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड चयन सूची (एसजीएसएल) में नाम शामिल होने के फलस्वरूप, श्री कैलाश चंद को दिनांक 29 जून, 2022 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर पे लेवल-12 (78,800/- रु. से 2,09,200/- रु.) में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. एसजीएसएल में श्री कैलाश चंद की नियुक्ति श्री जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम वी. लछमी नारायण गुप्ता एवं अन्य और अन्य संबंधित मामले में, एसएलपी(सी) सं. 30621/2011 से प्रवृत्त 2022 की सिविल अपील सं. 629 में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेशों के अध्यधीन होगी।

योगेन्द्र सिंह, अवर सचिव

जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2022

सं. ए-32012/21/2021-जीडब्ल्यू स्था.—राष्ट्रपति, केंद्रीय भूजल बोर्ड में श्री ए. के. अग्रवाल, क्षेत्रीय निदेशक को दिनांक 03.06.2022 (पूर्वाह्न) से सदस्य (वैज्ञानिक), समूह 'क', के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (संशोधन पूर्व पीबी-4, 37400—67000/- रुपए के अतिरिक्त 10,000 रुपए ग्रेड) में नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहू, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 1st July 2022

No. A-39011/60/16-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Vishwanath Sharma, Private Secretary, President's Secretariat, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th June 2022.

BHARAT BHUSHAN, Under Secy. (Admn)

No. A-36011/57/16-Admn.—On attaining the age of superannuation, Dr. (Shri) Pradeep Kumar Srivastava, Physician to the President, President's Secretariat, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th June 2022.

BHARAT BHUSHAN, Under Secy. (Admn)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 3rd June 2022

No. 15/PA-II/2022—The President is pleased to appoint Shri N. Venkataraman, officer belonging to Grade I of IFS 'B' to officiate in the grade of Senior Scale of Indian Foreign Service with effect from the date shown against his name:—

Name of the Officer	Date of Birth	Date of promotion
Shri N. Venkataraman	07.12.1963	30.05.2022

SOUMYA GUPTA, Deputy Secy. (FSP & Cadre)

The 1st July 2022

No. Q/PA-1/21/2022—Ms. Gaitri Issar Kumar, High Commissioner of India to the United Kingdom, has retired from Grade-I of the Indian Foreign Service in the afternoon of 30th June 2022.

SOUMYA GUPTA, Deputy Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-1/22/2022—Shri Ajay Bisaria, High Commissioner of India to Canada, has retired from Grade-I of the Indian Foreign Service in the afternoon of 30th June 2022.

SOUMYA GUPTA, Deputy Secy. (FSP & Cadre)

No.19/PA-II/2022—On attaining the age of superannuation, Shri Rajesh Lal retired from the Senior Scale of the Indian Foreign Service in the afternoon of 30 June, 2022.

SOUMYA GUPTA, Deputy Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-1/20/2022—Shri T. S. Tirumurti, Ambassador/Permanent Representative of India to the United Nations, PMI, New York, has completed his tenure of re-employment in the afternoon of 30th June 2022.

SOUMYA GUPTA, Deputy Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-1/23/2022—Ms. Sangeeta Bahadur, High Commissioner of India to the Republic of Malta, has retired from Grade-I of the Indian Foreign Service in the afternoon of 30th June 2022.

SOUMYA GUPTA, Deputy Secy. (FSP & Cadre)

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL

New Delhi, the 4th July 2022

No. DIII/460/CF-07/2022—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Edgar Pang Tze Chiang as the Consul-General of the Republic of Singapore in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Edgar Pang Tze Chiang comprises the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala and Union Territory of Puducherry with seat in Chennai.

AVINASH KUMAR SINGH, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 27th May 2022

No. 23 :(F.No.A-19013/17/2022-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Dr. Vijit Patel, IRS(IT:14082) as Under Secretary [APA-I], Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue on deputation for a period of three years with effect from 18.05.22 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 1st June 2022

No. 24 : (F.No.A.38013/1/2022-Ad.I)—Shri Bhola Ram Meena, an officer of the Central Secretariat Services posted as Under Secretary in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.05.2022 (AN) on attaining the age of superannuation.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 6th June 2022

No. 25: (F.No.A-19012/3/2022-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Ms. Niharika Singh as Director (OL) on ad-hoc basis in the Department of Revenue with effect from 01.06.2022 (FN) for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 17th June 2022

No. 26 : (F.No.A-19014/23/2019-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Manjeet Kumar Vijh (Roll No.- 0004207), a Section Officer (Ad-hoc) of Central Secretariat Service as regular Section Officer (Select List 2015) with effect from 31.05.2021(FN) on the basis of qualifying the Limited Departmental Competitive Examination, 2015:

2. As per the CSS Rules, 2009, the approved Requlars Service in the grade of Section Officer in respect of Shri Manjeet Kumar Vijh will be counted from 1st July, 2015.

3. The appointment of Shri Manjeet Kumar Vijh as regular Section Officer is subject to the outcome of the following Court cases and also subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters:

(i) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court.

(ii) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Form & Others Vs. UOI & Ors. and other related court cases in any competent court; and.

(iii) WP(C) No. 5080/2014 filed by UPSC V/s Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. In Delhi High Court, New Delhi.

(iv) WP (C) No. 5793/2014 filed by UPSC V/s Shri M.R. Meena & Ors. In Delhi High Court, New Delhi.

(v) WP(C) No. 6468/2014 filed by UPSC V/s Shri Rajeev R & Ors. In Delhi High Court, New Delhi.

(vi) OA No. 2773/2015 (Ram Khilari Meena & Ors. Vs. UOI) OA No. 2906/2015 (Preeti Wadhwa Vs. UOI and O.A. No. 2888/2015(Sunil Kr. Bhatia vs UOI).

(vii) Jarnail Singh Batch cases in Hon'ble Supreme Court of India.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 24th June 2022

No. 30: (F.No.A-19014/31/2019-Ad.I)—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 6/8/2022-CS-I(S) dated 14.06.2022, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Yadav, Section Officer(ad-hoc) of CSS in the Department of Revenue as Section Officer on regular basis against the Seniority Quota(SQ) for the Select List year 2020 in the Department of Revenue w.e.f. 15.06.2022(FN).

2. As per CSS Rules, approved service in respect of Shri Sanjay Yadav included in SO SL 2020(SQ) will count from 1st July 2020.

3. The appointment of the officer shall be subject to the outcome of the following Court cases and also subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters:

i. Civil Appeal No. 629/2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters(Jarnail Singh batch of cases).

ii. Matters relating to seniority, promotion etc in SO/ASO grade, if any, filed in any competent court till date.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

No. 31: (F.No.A-50050/60/2022-Ad.I)—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No.6/4/2022-CS-I(S) dated 27.05.2022, the President is pleased to appoint the following Section Officers(ad-hoc) of CSS in the Department of Revenue as Section Officers' on regular basis against the Seniority Quota(SQ) for the Select List year 2018 in the Department of Revenue.

SL No.	Name(S/Shri)	Date of Joining
1.	Deepak Kumar	30.05.2022
2.	Lakshmi Raghavan	30.05.2022
3.	Baldev Singh Saini	30.05.2022
4.	M.K. Garg	30.05.2022
5.	Suman Rawat	30.05.2022
6.	Bindu Dhawan	30.05.2022
7.	Geeta Sharma	30.05.2022
8.	Ravinder Pratap Singh	30.05.2022
9.	Bharat Bhushan	30.05.2022
10.	Satinder Chopra	30.05.2022
11.	Sunita Kanojia	30.05.2022

2. As per CSS Rules, Approved service in respect of the officers included in SO SL 2018(SQ) will count from 1st July 2018.

3. The appointment of the officers shall be subject to the outcome of the following Court cases and also subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters:

i. Civil Appeal No. 629/2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters(Jarnail Singh batch of cases).

ii. Matters relating to seniority, promotion etc in SO/ASO grade, if any, filed in any competent court till date.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

No. 29 : (F.No.A-50050/62/2022-Ad.I)—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. A-6/6/2022-CS-I(S) dated 04.06.2022, the President is pleased to appoint the following Section Officers(ad-hoc) of CSS in the Department of Revenue as Section Officers on regular basis against the Seniority Quota(SQ) for the Select List year 2019 in the Department of Revenue.

SL No.	Name(S/Shri)	Date of Joining
1.	Anupma Kumari	16.06.2022
2.	Chandan Krishna	06.06.2022
3.	Ranjit Kumar	06.06.2022
4.	Bipin Kumar	06.06.2022
5.	Chander Mohan	06.06.2022
6.	Sultan Singh Meena	07.06.2022
7.	Paokholen Haokip	06.06.2022
8.	Lalhmingthang Songate	06.06.2022

2. As per CSS Rules, Approved service in respect of the officers included in SO SL 2019(SQ) will count from 1st July 2019.

3. The appointment of the officers shall be subject to the outcome of the following Court cases and also subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters:

i. Civil Appeal No. 629/2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters(Jarnail Singh batch of cases).

ii. Matters relating to seniority, promotion etc in SO/ASO grade, if any, filed in any competent court till date.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

No. 28 :(F.No.A-19013/18/2022-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Pradip Kumar, IRS(C&IT) [Batch:2014, Emp. ID: 7271], as Under Secretary [Judicial], Central Board of Indirect Taxes & Customs, Department of Revenue on deputation for a period of three years with effect from 17.05.22 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi-110001, the 24th June 2022

No. A-22012/3/2022-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Letter No. 18/5/2022-EO (MM-I) dated 24.05.2022, the President is pleased to appoint Shri Parshant Kumar Goyal, IAS (TR:2007) as Director in Department of Financial Services, in Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900) of pay matrix with effect from the forenoon of 23rd June, 2022 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

SANJAY KUMAR JHA, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

The 4th July 2022

A-38011/03/2022-Estt.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. Rajesh Kumar Chaturvedi, Secretary stands retired from Government service with effect from 30.06.2022 (AN).

TILAK RAJ, Under Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 26th May 2022

No.14/2/2021-CCS/6933—The President is pleased to appoint Shri S. A. Murugesan, (IAS-2005) as Internal Financial Adviser (Level 13 of Pay Matrix) in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam with effect from 21.04.2022 (FN) for a period of 5 years up to 20.04.2027.

ASHOK B. GERIRA, Under Secy.

The 16th June 2022

No.12/11/2022-CCS/7930—The President is pleased to appoint Shri D. Ramasubramanian as Internal Financial Adviser (Level 13 of Pay Matrix) in the Directorate of Purchase & Stores, Mumbai with effect from 03.06.2022 (FN).

ASHOK B. GERIRA, Under Secy.

No.11/13/2021-CCS/7924—The President is pleased to appoint Smt. Shilpa Rahul Shengal as Deputy Controller of Accounts (Level 11 of Pay Matrix) in Heavy Water Plant, Kota with effect from 04.06.2022 (FN).

ASHOK B. GERIRA, Under Secy.

No.11/13/2021-CCS/7924—The President is pleased to appoint Shri V. K. Srikanth as Deputy Controller of Accounts (Level 11 of Pay Matrix) in the Directorate of Purchase & Stores, Mumbai with effect from 01.06.2022 (FN).

ASHOK B. GERIRA, Under Secy.

The 24th June 2022

No.11/13/2021-CCS/8352—The President is pleased to appoint Smt. Shaheen Dastagir Sayyad as Deputy Controller of Accounts (Level 11 of Pay Matrix) in General Services Organization, Nuclear Recycle Board, Tarapur with effect from 20.05.2022 (FN).

ASHOK B. GERIRA, Under Secy.

No.11/13/2021-CCS/8335—The President is pleased to appoint Shri V. Vivekanandan as Deputy Controller of Accounts (Level 11 of Pay Matrix) in Heavy Water Board, Mumbai with effect from 01.06.2022 (FN).

ASHOK B. GERIRA, Under Secy.

The 29th June 2022

No.12/4/2021-CCS/8536—The President is pleased to appoint Shri Vikas B. Bhosale, Security Officer (Level 9 of Pay Matrix) of Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Deputy Chief Security Officer (Level 11 of Pay Matrix) in the same centre from 13.05.2022 (FN).

ASHOK B. GERIRA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 4th July 2022

No. A-38013/04/2021-E.I.—Shri Pawan Kumar, Section Officer belonging to the Central Secretariat Services (CSS) of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31th July, 2022.

RAM CHANDRA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 5th May 2015

No. F-15-2806/14-E.I—Consequent upon sad demise of Shri Ranjay Kumar Sinha [CSL No. 8382], Under Secretary S/o Shri Brijnandan Prasad on 03/10/2014, his name is struck off from the cadre strength & pay rolls of the Ministry of Human Resource Development w.e.f. 03/10/2014(A.N).

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 13th August 2015

No. A-22011/05/2013-E.I—In pursuance of DoPT's OM No. 5/8/2013-CS.I(U) dated 22nd May, 2015, and in partial supercession of this ministry's notification of even number dated 29.07.2015 the following Under Secretaries of the Central Secretariat Service working in the Ministry of Human Resource Development are allowed to continue as Under Secretaries purely on ad-hoc basis for the period upto 31.12.2015 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier:

S.No.	Name	CSL No.
1	Achint Kumar	8550
2	Alok Jawahar	8381
3	A. K. Gopal	8474
4	B. K. Sharma	8406
5	C. P. Ratnakaram	8264
6	Daulat Ram	8300
7	Deep Chand Lakra	8759
8	H. M. Sonkusare	8031
9	Kiran K. Arora	8224
10	K. D. Verma	8510
11	Manoj Kumar Shukla	8716
12	P. Bhaktavatslam	8322
13	Rajesh samplay	8748
14	Rajesh kumar Maurya	8204
15	Sachin Arora	8717
16	S. K. Narayan	8590
17	Sushanta Kumar Saha	8635

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 18th September 2015

No. A-22011/05/2013-E.I—In continuation of this Ministry's Notification No. A-22011/05/2013-E.I dated 13.08.2015, Sh. Pushkar Kumar Singh, US is allowed to continue as Under Secretary purely on ad-hoc basis for the period beyond 31.05.2015 and upto 31.12.2015 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 4th December 2015

No. F-15-2903/2015-E.I—The President is pleased to appoint Sh. Sanjay Kumar, (CSL No. 8854) Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from forenoon of 24/11/2015 for a period upto 31.12.2015 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

No. F-15-2903/2015-E.I—The President is pleased to appoint Sh. Sanjay Kumar, (CSL No. 8854) Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from forenoon of 24/11/2015 for a period upto 31.12.2015 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 3rd February 2016

No. F-15-2915/2016-E.I—The President is pleased to appoint Shri Shah Faiz Ahmed, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from forenoon of 03/02/2016 for a period upto 30.06.2016 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 1st April 2016

No. F-15-2605/2011-E.I—The President is pleased to appoint Shri K. Rajan, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from forenoon of 01/04/2016 for a period upto 30.06.2016 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 7th October 2016

No. F-15-2938/2016-E.I—The President is pleased to appoint Shri A. K. Chattopadhyay, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from Afternoon of 30/09/2016 for a period upto 30.06.2017 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

No. F-15-2937/2016-E.I—The President is pleased to appoint Shri V. B. Hariharan, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from Afternoon of 30/09/2016 for a period upto 30.06.2017 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 14th October 2016

No. F-15-2939/2016-E.I—The President is pleased to appoint Shri V. Sripathi, Section Officer [CSL No. 9243] of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) in level – 11 of pay matrix on purely ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 06/10/2016 (F.N.) for a period upto 30.06.2017 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

The 25th November 2016

No. F-15-2949/2016-E.I: The President is pleased to appoint Smt. Renu Nigam, Section Officer [CSL No. 9277] of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 11/11/2016 (F.N.) for a period upto 30.06.2017 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 9th January 2019

No. A-32011/6/2018-E.I—The President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix level 11 (Rs.67,700 – 2,08,700) [pre-revised PB-3 (Rs.15600 – 39100) with a Grade Pay of Rs.6600/-] purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from the date indicated against their names for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier:—

S. No.	Name of the officer (S/Shri/Smt.)	CSL No.	With effect from Date
1.	Ashok Giri	9895	01/01/2019 (F.N.)
2.	Gaj Mohan Meena	10109	01/01/2019 (F.N.)

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof. The service rendered on ad-hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.

3. The ad-hoc appointment will remain subject to outcome of the SLP (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Ors Vs. Lachhmi Narain Gupta & Ors and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court case in a connected matter.

ACHINT KUMAR, Under Secy.

No. A-32011/6/2018-E.I—The President is pleased to appoint Smt. Visalakshi Jayaraman, Section Officer (CSL No.9325) of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix level 11 (Rs.67,700 – 2,08,700) [pre-revised PB-3 (Rs.15600 – 39100) with a Grade Pay of Rs.6600/-] purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 01.01.2019 (FN) for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof. The service rendered on ad-hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.

3. The ad-hoc appointment is subject to the outcome of court cases mentioned in para 3 (vii) of DoP&T's Order No. 5/7/2016-CS.I(U)(Vol.II) dated 21.12.2018.

ACHINT KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 20th February 2019

No. A-32011/06/2018-E.I—In pursuance of DoPT's OM No. 5/8/2013-CS.I(U) dated 28.12.2018, the following Under Secretaries of the Central Secretariat Service working in the Ministry of Human Resource Development are allowed to continue as Under Secretaries purely on ad-hoc basis for the period upto 30.06.2019 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier:—

S. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Mr./Mrs.)	CSL No.
1.	S. K. Narayan	8590
2.	Manoj Kumar Shukla	8716
3.	Sachin Arora	8717
4.	Kundan Nath	8780
5.	Vikas Tripathi	8804
6.	Sanjay Kumar	8854
7.	Shah Faiz Ahmed	9016
8.	K. Rajan	9106
9.	V. Sripathi	9243
10.	A. K. Chattopadhyay	9257
11.	Renu Nigam	9277

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

ACHINT KUMAR, Under Secy.

The 2nd May 2019

No. A-32011/6/2018-E.I—The President is pleased to appoint Ms. Khamngaihlun, Section Officer [CSL No. 10096] of Central Secretariat Service (CSS) as Under Secretary (Grade-I) of CSS in the Pay Matrix Level–11 (Rs.67,700-2,08,700), purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 30.04.2019 (F.N.) for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

3. The ad-hoc appointment is subject to the conditions stipulated in DoP&T's Order No. 5/4/2019-CS.I(U)(i) dated 30.04.2019.

ACHINT KUMAR, Under Secy.

No. A-32011/6/2018-E.I (i)—The President is pleased to appoint following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level–11 (Rs.67,700 – 2,08,700), purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from the date of assumption of the charge for a period upto 30.06.2019 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier:—

S.No.	Name of the officer (Ms./Shri	CSL No.	Charge Assumption Date
1.	Ratnesh Kumar Gupta	10210	30.04.2019 (F.N.)
2.	Usha Sudhakaran	10427	30.04.2019 (F.N.)
3.	K. N. Rao	10456	30.04.2019 (F.N.)
4.	Tej Pal Singh	10465	30.04.2019 (F.N.)
5.	Sunita Sharma	10502	30.04.2019 (F.N.)
6.	Dharmender	10530	01.05.2019 (F.N.)
7.	Rashmi Sehgal	10648	30.04.2019 (F.N.)

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

3. The ad-hoc appointment is subject to the conditions stipulated in DoP&T's Order No. 5/4/2019-CS.I(U)(ii) dated 30.04.2019.

ACHINT KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 4th July 2022

No. A-32014/1/2021-E.II(B)—The President is pleased to appoint the following Senior Technical Assistants as Assistant Engineer (Civil), of General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non – Ministerial in Level – 7 of Pay Matrix (Pre revised Pay Band - 2 Rs. 9300 – 34,800 plus Grade pay Rs. 4600/-) on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways, with effect from the dates mentioned against each and until further orders:—

Sr. No.	Name of the Officer	Date of appointment
1	Shri Naresh Kumar	26.4.2022
2	Shri Sandesh K	25.4.2022
3	Shri Sugat Nilkanth Kamble	25.4.2022
4.	Shri Qamre Alam	25.4.2022
5.	Shri Hemant Kumar	25.4.2022
6.	Shri Venkataiah Mekala	25.4.2022

KAMAL KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi–110003, the 5th July 2022

No. 49/24/2019-Admn.I—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade Select List (SGSL) of Central Secretariat Services of the year 2020 vide DoPT's Order No.4/3/2022-CS.I(D)(ix) dated 29th June, 2022, the President is pleased to appoint Sh. Kailash Chand as Deputy Secretary in Ministry of New & Renewable Energy in the Pay Level-12 (Rs. 78,800 to Rs.2,09,200/-), on regular basis, w.e.f. the forenoon of 29th June, 2022.

2. The inclusion of Sh. Kailash Chand in SGSL shall remain subject to further orders of the Hon'ble Supreme Court of India in the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP(C) No. 30621/2011 titled Shri Jarnail Singh & Ors. V. Lachhmi Narain Gupta & Ors. and other connected matters.

YOGINDER SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF JAL SHAKTI
(DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION)

New Delhi, the 29th June 2022

F. No. A-32012/21/2021-GW Estt.—The president is pleased to appoint Sh. A.K. Aggarwal, Regional Director in Central Ground Water Board to the post of Member (Scientific), Group-'A' post, in Level-14 of the Pay Matrix (pre-revised PB-4 of Rs.37400-67000/- plus grade pay of Rs. 10,000/-) with effect from 03.06.2022 (FN).

A.K. SAHOO, Under Secy.

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHA N ANANTHA KUMAR Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Date: 2022.07.09 09:44:07 +05'30'